अध्याय VII

संभावनाएं

7.1 वर्ष 1990 के आरंभ से वित्तीय सुधार सुचिंतित और सुव्यवस्थित तरीके से शुरू किए गए। सरकार, रिज़र्व बैंक और स्वयं बैंकों के द्वारा किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरुप एक स्पर्धात्मक, सुदृढ़ तथा लचीली वित्तीय व्यवस्था बनी। समग्र रूप में भारतीय बैंकिंग प्रणाली की परिसंपत्ति की गुणवत्ता और मजबूती के मानदंडों की अब विश्व स्तर पर तुलना की जा सकती हैं। यह अंतरराष्ट्रीय बेहतर मानकों के साथ विवेक पूर्ण मानदंडों के क्रमिक तालमेल की ओर बढ़ते हुए प्रतियोगी दबाव के वातावरण के बावजूद प्राप्त किया गया है। इस संबंध में बढ़ती हुई वित्तीय गहनता के भी कुछ सबूत मिले हैं। इस अवधि में वाणिज्यिक कैंको की वित्तीय स्थिति में भारी सफालता प्राप्त कर लेने के बाद अब वित्तीय सेवाओं को और अधिक व्यापक और गहन करना आवश्यक हो गया है ताकि सुविधाओं से वंचित लोगों की जरूरतों को पूरा किया जा सके। इसमें देश के अविकसित क्षेत्रों की ओर विशेष ध्यान देना शामिल है। शहरी सहकारी बैंको, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको, ग्रामीण सहकारी बैंकिंग क्षेत्र और बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं की वित्तीय स्थिति और विवेकपूर्ण विनियमन में सुधार के लिए इस सुधार प्रक्रिया को और विस्तृत किया गया है। शहरी सहकारी बैंकों पर दोहरे नियंत्रण को देखते हुए राज्य सरकार को शामिल कर के सुधार की रणनीति अपनाई जा रही है।

7.2 आने वाले वर्षों में बैंकिंग क्षेत्र की मुख्य चुनौती है सुदृढ़ता को बनाए रखते हुए विस्तार करना। पिछले तीन वर्षों के दौरान ऋण की अधिक अभिवृद्धि के साथ बैंकिंग की व्याप्ति परिसंपत्ति पक्ष की ओर बढ़ गई जबकि देयता पक्ष की ओर अपेक्षाकृत कम ध्यान दिया गया। बैंकों के लिए इसलिए यह आवश्यक है कि वे अब नए ग्राहकों तथा क्षेत्रों की ओर अपना ध्यान केंद्रित करें। आस्ति पक्ष की ओर बढ़ती हुई प्रतियोगिता के साथ बैंकों को नई साख वाले उधारकर्ताओं को खोजने की आवश्यकता है।इस संबंध में बहुत गुंजाइश है, फिर भी उन तक पहुँचने के लिए नई-नई पद्धतियों का उपयोग करना आवश्यक है। समग्र समष्टि अर्थव्यवस्था के अनुसार, बैंकिंग परिचालनों के सहज विस्तार को सुविधाजनक बनाने की दृष्टि से और बासल II की अपेक्षाओं को पूर्ण करने में बैंकों के लिए यह आवश्यक है कि वे अपनी क्षमता बढ़ाएं। रिज़र्व बैंक ने बैंकों को वर्ष के दौरान कतिपय लिखतों के माध्यम से बाज़ार से पूंजी जुटाने की अनुमति दी है।

ऋण सुपुर्दगी और मूल्य निर्धारण

7.3 वर्ष 2005-06 के दौरान बैंकिंग क्षेत्र द्वारा ऋण का उठाव पिछले दो वर्ष की तुलना में काफी सुदृढ़ रहा है। अधिक ऋण की मांग को पूरा करने के उद्देश्य से बैंकों ने वर्ष के दौरान सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) संविभाग को आंशिक रूप से कम किया। 13 अक्तूबर 2006 को बैंकों की सांविधिक चलनिधि अनुपात की धारिता एनडीटीएल की 29.8 प्रतिशत थी जिसमें 2001-02 के 36.7 प्रतिशत की तुलना में भारी गिरावट हुई। चूंकि अब सांविधिक चलनिधि अनुपात संविभाग सांविधिक अपेक्षाओं के निकट पहुँच रहा है। अतः अधिक ऋण के लिए वित्तपोषण जमाराशियों के अधिक संचयन से किया जा सकता है। इस संदर्भ में, वर्ष के दौरान सामायिक जमाराशि की वृद्धि में उच्च बढ़ोतरी उत्साहवर्धक है।

7.4 हाल ही की अवधि में तीव्र औद्योगिक विकास, कंपनी क्षेत्र से बढ़ती ऋण मांग एक महत्वपूर्ण घटक है। क्षेत्रीय ऋण वितरण पर अद्यतन जानकारी से पता चलता है कि लगभग सभी क्षेत्रों में ऋण वितरण अच्छी तरह किया गया है। विशेष रूप में, बुनियादी क्षेत्र के लिए ऋण विस्तार में तीव्र वृद्धि हुई है। बैंक, जो परंपरागत रूप में कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं को वित्तपोषित करते थे, वे अब बुनियादी क्षेत्र सहित परियोजना वित्तपोषण के अपने एक्सपोज़र में उत्तरोत्तर वृद्धि कर रहे हैं। जबकि यह अच्छी प्रगति है, बैंकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि परियोजना के वित्तपोषण के लिए उनका एक्सपोज़र उनकी आस्ति देयता प्रबंध (एएलएम) के अनुरूप है।

7.5 यद्यपि, कृषि और उससे संबधित कार्यकलापों के लिए दिए जाने वाले ऋणों में वृद्धि हुई है, लेकिन बहुतेरे क्षेत्रों में ग्रामीण ऋण वितरण प्रणाली की कमजोरी के चलते अभी और बहुत कुछ हासिल करना है। कृषि और उससे संबद्ध कार्यकलापों की ओर ऋण प्रवाहों में वृद्धि करने के लिए रिज़र्व बैंक और नाबार्ड ने कृषि और संबद्ध कार्यकलापों को बैंकिंग प्रणाली से ऋण प्रवाह पर बनी परामर्शदात्री समिति (अध्यक्ष प्रो. वी. एस. व्यास) की अधिकांश सिफारिशों को कार्यान्वित किया है।

7.6 बैंक ऋण को समाज की बदलती हुई आवश्यकताओं के समान रखने के लिए प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र का दायरे तथा उसकी परिभाषा के साथ, नई मदों को जोड़कर साथ ही के घटकों के उप

क्षेत्रों की ऋण सीमा में वृद्धि करके, उसमें निरंतर किया जाता है। वर्ष 2005-06 के दौरान प्रक्रिया को जारी रखते हुए कई उपायों की पहल की गई। इनमें शामिल हैं: (i) 1 जुलाई 2005 को या उसके बाद बैंकों द्वारा उद्यम पूंजी में किए गए नए निवेश प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत वर्गीकरण के पात्र नहीं होंगे; (ii) सभी निजी क्षेत्र के बैंकों के लिए आवश्यक है कि वे अग्रणी बैंक योजना के विभिन्न कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लें। (iii) बैंकों को यह सूचित किया गया है कि वे जहां ऋण की मूल राशि 25000 रूपए या उससे कम है और जो 30 सितंबर 2005 को ठसंदिग्धड और ठहानिड आस्तियां रही हैं, उनके एकबारगी निपटान की सरलीकृत व्यवस्था को अपनाएं; (iv) बैंको से यह अपेक्षा की गई है कि वे सामान्य क्रेडिट कार्ड योजना (जीसीसी) आरंभ करें और उसके अंतर्गत ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों के ग्राहकों से सुरक्षा और ऋण के अंतिम उपयोग पर जोर दिए बिना जीसीसी जारी करें।

7.7 भारत की अर्थव्यवस्था में लघु और मध्यम आकार के उद्यम (एसएमई) विशेष रूप से अपनी निर्यात और रोजगार निर्माण की संभाव्यता के कारण, एक महत्वपूर्ण घटक है। तथापि, एसएमई को बैंक ऋण देना ठप्प हो गया है जो एक चिंता का विषय है। इसलिए, रिज़र्व बैंक ने एसएमई क्षेत्र को ऋण प्रवाह बढ़ाने के लिए कई उपायों की शुरुआत की है। बैंकों को यह सूचित किया है कि वे प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में केवल लघु उद्योग वित्तपोषण को ही शामिल करें। बैंकों को निम्नलिखित उपायों के बारे में भी सूचित किया गया है:- (i) एसएमई क्षेत्र के लिए स्वयं लक्षित ऐसी वित्तपोषण प्रणाली निर्धारित करें जिसमें पिछले निकटतम वर्ष की तुलना में उच्च वितरण परिलक्षित हो। (ii) एक पारदर्शी रेटिंग प्रणाली अपना कर एसएमई क्षेत्र को दिए जाने वाले ऋण की लागत को युक्तियुक्त बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाएं, (iii) एसएमई क्षेत्र को औपचारिक ऋण बढ़ाने के लिए कम से कम पांच नए छोटे/मध्यम उद्यमों को अपनी प्रत्येक अर्ध-शहरी/शहरी शाखा के द्वारा प्रति वर्ष अंगीकार किया जाए, (iv) समूह आधार दृष्टिकोण को वित्तपोषण महत्व वाला क्षेत्र समझा जाए और उसे बढ़ती मात्रा में वित्तपोषण के लिए अंगीकार किए जाए, (v) मध्यम उद्यमों की अधिकता वाले चुनिंदा समूह/केंद्रों, में एसएमई उद्यमियों को आसानी से बैंक ऋण उपलब्ध कराने हेतु विशेषी कृत एसएमई शाखाओं का समावेश सुनिश्चित करना, (vi) एसएमई खातों के 10 करोड़ रुपए से कम की अनर्जक आस्तियों की वसूली करने के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों को एक बारगी निपटान प्रणाली लागू करना, (vii) एसएमई क्षेत्र की इकाई के लिए ऋण पुनर्संरचना तंत्र, और (viii) छोटे उद्यम वित्तीय केंद्र (एसईएफ सी) की योजना लागू करना जिससे बैंकों को उनकी शाखाओं के बीच और सिडबी के साथ अच्छा समन्वय स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।

7.8 उधार संबंधी दरों में अविनियमन करने के बाद रिज़र्व बैंक ने बैंकों द्वारा ऋण के मूल्य निर्धारण में पारदर्शिता बढ़ाने के प्रयोजन से बेंचमार्क मूल उधार दर प्रणाली (बीपीएलआर) आरंभ की है। ऋण बाज़ार के स्पर्धात्मक वातावरण के कारण वाणिज्य बैंकों के कुल ऋण में बीपीएलआर दर से कम दर पर दिए गए ऋणों का हिस्सा जून 2005 के अंत मे 2 लाख रूपए से अधिक के कुल बकाया अग्रिम के 69.0 प्रतिशत से बढ़कर जुलाई 2006 के अंत में 77.0 प्रतिशत हो गया। यह बैंकों के भारित औसतन ऋण दरों में सामान्य वृद्धि से परिलक्षित होता है जो मार्च 2005 अंत के 12.57 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2006 के अंत में बढकर को 12.60 हो गई। हालांकि इस अवधि के दौरान ब्याज दर बढ़ गई थी।

7.9 पिछले दो वर्ष से हो रही ऋण वृद्धि इस वर्ष भी जारी रही है। आनेवाले कुछ वर्षों में अर्थव्यवस्था में अनुमानित उच्च विकास वृद्धि दर को देखते हुए विकास प्रक्रिया को सुसाध्य तथा मददगार बनाने के लिए बैंकिंग प्रणाली को नवोन्मषी बनाने की अवाश्यकता है। ग्रामीण उद्यामों और शहरी इलाके के छोटे तथा मझोले उद्यमों की नई उपभोक्ता और उत्पादन संबंधी मांग को पूरा करने के लिए बैंकों को ऐसी नई वितरण प्रणाली अपनानी होगी, जो लेनदेन लागत को कम कर सके और वर्तमान में उस सुविधाओं से वंचित लोगों तक ये सेवाएं उपलब्ध कर सकें। कुछ बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं ने इन नई ग्रामीण ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वित्तीय समावेशन के संरक्षण के अंतर्गत ऋण वितरण के नवोन्मेषी उपाय खोज लिए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में आय तथा रोजगार के अवसर तैयार करने के लिए उदीयमान गैर कृषि सेवा उद्यमों के विस्तार को वित्तीय सहायता प्रदान करनी होगी। बैंकिंग क्षेत्र अर्थव्यवस्था में भारी मात्रा में होने वाले विविधीकरण की चुनौतियों का सामना करने के लिए बैंकिंग क्षेत्र को मज!बूत किया जा रहा है। चुनौतियां, विशेषकर इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि बैंकिंग क्षेत्र की दखल, समान सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि वाले अन्य एशियाई देशों की तुलना में, भारत में अभी तक कम है।

7.10 हाल के वर्षों में, खुदरा वित्तीय सेवाओं में विशेषकर आवास तथा व्यक्तिगत ऋण की ओर ऋण प्रवाह में तीव्र वृद्धि हुई है। अर्थव्यवस्था के बदलते विकास तंत्र के चलते आबादी का कुछ हिस्सा समष्टि आर्थिक दशाओं में अत्याधिक आशावादी या फिर परिवर्तनीय हो सकता है। एक ओर जहाँ ऋण के उठाव में वृद्धि से विकासशील अर्थव्यवस्था में उत्साहजनक सकल मांग

की स्थिति परिलक्षित होती है, वहीं ऋण की गुणवत्ता के संबध में चिंता भी उत्पन्न होती है। संभावित असुरक्षितता को दूर करने के लिए रिज़र्व बैंक ने वर्ष के दौरान कई विनियामक उपाय किए हैं।

7.11 समाज के कुछ वर्गों में यह आशंका बढ़ रही है कि आम जनता रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकों को नियमित रूप से जारी दिशा निदेशों का कई कारणों से लाभ नहीं ले पाएगी। इनमें अपने वित्त, विशेषकर चूक खातों के प्रबंधन की अपर्याप्तता शामिल हो सकती है। इसके अतिरिक्त, व्यक्ति अपनी वित्तीय स्थिति की पर्याप्त जानकारी बैंकों को सुस्पष्ट रूप से भी नही बता सकें गे। इसलिए, बैंकों के अपने हित के लिए व्यक्तिगत उधारकर्ताओं को ऋण के बारे में उचित सलाह देनी चाहिए। यह बात उत्साहवर्धक है कि कुछ बैंकों ने इस दिशा में प्रयत्न करना आरंभ कर दिया है।

7.12 सलाह (कांउसेलिंग) से सामान्यतया तीन हेतु साध्य होते हैं। पहला, यह वर्तमान वित्तीय समस्याओं का हल निकालने के लिए उपायों की जांच करता है, दूसरा, ऋण के लागत के प्रति जागरूकता निर्माण करके वित्तीय प्रबंधन में सुधार करता है और वास्तविक व्यय योजना विकसित करता है। तीसरा, वित्तीय संकट में फंसे व्यक्तियों को यह बैंकिंग सहित, सुगठित वित्तीय प्रणाली से सहायता लेने की जानकारी देता है। तथापि, दी गई ऐसी सलाह तब उचित साबित होगी जब वह देश के विभिन्न भागेां के परिवारों की विषम परिस्थितियों को दूर करेगा।

ग्राहक सेवा और वित्तीय समावेशन

7.13 हालही में, बैंकों द्वारा ग्राहकों को किफ़ायती दरों में अच्छी सेवा मिले, यह सुनिश्चित करने के लिए रिज़र्व बैंक ने कई कदम उठाए हैं। इसका केंद्रबिंदु है, आदमी को बैंकिंग की आधारभूत सेवाएं उपलब्ध कराना और प्रभावी ग्राहक शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करना। बैंकों को यह सूचित किया गया है कि वे इन सेवाओं को प्रदान करने के औसतन मूल्य के अनुसार उचित सेवा शुल्क निर्धारित करें।

7.14 ग्राहक सेवा में सुधार लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है अप्रैल 2005 में बैंकिंग संहिता और मानक बोर्ड (बीसीएसबीआई) के गठन की घोषणा, जिसका परिचालन मार्च 2006 से शुरू हुआ। बीसीएसबीआई का मूल उद्देश्य दंड उपायों के बजाय सहयोग से सौहार्दपूर्ण कार्रवाई के जरिए कमियां खोजना तथा उन्हें दूर करना। बोर्ड किसी बैंक के कार्यनिष्पादन का परीक्षण सुस्थापित उत्तम संव्यवहारों के तहत करेगा। ग्राहकों के प्रति 'बैंकों की दायित्व संहिता' तैयार की है जिसके माध्यम से बैंक सभी शुल्कों सहित 'शुल्क सूची' बनाने के लिए वचनबद्ध है।

7.15 व्यथा और शिकायत के निवारण तंत्र में सुधार लाने के लिए रिज़र्व बैंक ने जनवरी 2006 में बैंकिग लोकपाल योजना पुनः तैयार कौ। जिसमें उसके दायरे तथा व्याप्ति का विस्तार किया गया है। उसमें शिकायतों के नई आधारों जैसे क्रेडिट कार्ड के मामले, वचनबद्ध सुविधाएं न देने, उत्तम व्यवहार संहिता का पालन न करने और पूर्व सूचना दिए बगैर अधिक शुल्क लगाने आदि को शमिल किया गया है। इसमें शिकायतों को लिखित दर्ज करने की अनिवार्यता को शिथिल करते हुए ऑन लाईन या ई-मेल द्वारा सहजता से शिकायत दर्ज करने की अनुमति दी गई है। इसके अतिरिक्त शिकायतकर्ता बीओ के निर्णय के विरूध्द अपील भी कर सकता है।

7.16 बैंकों के ग्राहक सेवाओं से संबंधित सभी मामलों को एक जगह लाने के उद्देश्य से रिज़र्व बैंक ने जुलाई 2006 में एक अलग ग्राहक सेवा विभाग गठित किया। रिज़र्व बैंक ने बैंकों को उत्तम व्यवहार संहिता पर दिशा-निदेश जारी किए है और उन्हें यह सूचित किया कि ऋण की वसूली के संबध में ग्राहकों को अनावश्यक रूप से परेशान न करें। बैंकिंग सेवाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु मई 2006 में बैंकों को यह सूचित किया गया कि वे अपनी वेबसाइट पर निर्धारित फार्मेट में विभिन्न सेवा प्रभारों को प्रदर्शित करें तथा उन्हें समय समय पर अद्यतन करते रहें। निर्धारित फार्मेट को प्रस्तावित उत्पाद के आधार पर संशोधित भी किया जा सकता है तथापि, फार्मेट में दर्शाए गए सभी सेवा प्रभारों का उसमें शमिल होना आवश्यक है। रिज़र्व बैंक बैंक प्रभारों की समुचितता को सुनिश्चित करने के लिए एक योजना को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है।

7.17 ग्राहक सेवा सुधारने के प्रयास में रिज़र्व बैंक राज्य विशेष की आवश्यकताओं का अवलोकन कर रहा है। इस प्रकार छोटे व्यापारी, कारोबारी और आम जनता की समस्याओं को सुलझाने के लिए रिज़र्व बैंक ने केंद्रशासित प्रदेश अंदमान निकोबार द्वीपसमूह के सुनामी से प्रभावित उधारकर्ताओं के लिए राहत कार्यो को तेज करने हेतु एक कार्यदल गठित किया। उसी प्रकार, उत्तरांचल और छत्तीसगढ़ में बैंकिंग सेवाओं से संबधित समस्याओं मुद्दों की जांच करने और कार्यान्वयन के लिए एक कार्य येाजना तैयार करने के लिए भी अलग-अलग कार्यदल गठित किए।

7.18 रिज़र्व बैंक बैकिंग की उन प्रथाओं से बहुत चिंतित है जिसके कारण जनसंख्या का बहुत बड़ा हिस्सा वंचित रह जाता है। अखिल भारतीय ऋण और निवेश सर्वे (2002) यह बताता है कि ग्रामीण इलाके में परिवार का संस्थागत वित्त पर निर्भर रहना वर्ष 1991 के 64 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2002 में 57 प्रतिशत हो गया। जबकि शहरी इलाके में यह 70 प्रतिशत से बढ़कर 75

प्रतिशत हो गया है। परिवार ऋण में ग्रामीण जमीनदार तथा साहूकारों का हिस्सा वर्ष 1991 के 18 प्रतिशत की तुलना में 30 प्रतिशत था। इस प्रकार, बैंकिंग क्षेत्र की पहुंच के बावजूद, औपचारिक ऋण प्रणाली पर्याप्त रूप में अनौपचारिक वित्तीय बाज़ार में प्रवेश नहीं कर पाई। इसलिए, विगत वर्षों में रिज़र्व बैंक, बैंकों को यह सूचित करता आ रहा है कि वे वित्तीय समावेशन के उद्देश्य से वर्तमान प्रथाओं की समीक्षा करें। बैंकों को यह सूचित किया गया था कि वे मूलभूत बैंकिंग सुविधा वाला ऐसा एक 'नो फ्रिल्स' खाता उपलब्ध कराएं जिसमें 'शून्य' अथवा बहुत कम शेष की अनुमति हो और प्रभार भी कम हों ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग ऐसे खाते खोल सकें। बैंकों को यह भी सूचित किया था कि वे ऐसे ठनो फ्रिल्सड खातों की सुविधा का बड़े पैमाने पर प्रचार करें। रिज़र्व बैंक के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार, करीब पांच लाख 'नो फ्रिल्स' खाते खोले गए हैं जिनमें से दो-तिहाई सार्वजनिक क्षेत्र में और एक-तिहाई निजी क्षेत्र के बैंकों में हैं।

7.19 वित्तीय समावेशन की व्यापकता और बैंकिंग क्षेत्र की पहुंच में वृद्धि सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कारोबार सहायक और कारोबार सहयोगी मॉडेलों के इस्तेमाल से वित्तीय तथा बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने में बिचौलियों के रूप में बैंकों को एनजीओ/ एसएचजी /एमएफआई /सीएसओ की सेवाओं का उपयोग करने की अनुमति दी गई है। बैंकों को यह भी सूचित किया गया कि वे 'अपने ग्राहकों को जानिए' पर समय समय पर जारी दिशा निदेशों के मानदंडो पर लचीला दृष्टिकोण अपनाएं। रिज़र्व बैंक ने बैंकों को यह निदेश दिए है कि वे अपने खुदरा ग्राहकों को उपयोगी सभी प्रकार की छपी सामग्री अंग्रेजी, हिंदी तथा संबधित क्षेत्रीय भाषा में उपलब्ध कराएं। ग्राहकों को आसानी से ऋण उपलब्ध कराने के लिए बैंकों को किसान क्रेडिट कार्ड जैसे सामान्य क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए प्रेरित किया गया।

7.20 बैंकों को उनके बड़े वित्तीय समावेशन के लिए जारी प्रयासों को प्रोत्साहित करने के एक भाग के रूप में, किसानों की समस्याओं की तरफ विशेष ध्यान दिया गया। ग्रामीण इलाकों में बड़ी मात्रा में बैंकिंग सुविधाओं की पहुंच सुनिश्चित करने और किफायती दरों में बैंक वित्त की उपलब्धता करने के लिए एक कार्यदल गठित किया गया। सभी राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों की राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के संयोजकों को यह सूचित किया गया है कि खाते तथा कार्ड दे कर वे शत प्रतिशत वित्तीय समावेशन प्राप्त करने के लिए अपने क्षेत्र में कम से कम एक ज़िला चुनें। वर्तमान में साहूकारी का नियमन करनेवाली मौजूदा विद्यायी संरचना की समीक्षा करने के लिए एक तकनीकी समूह का गठन भी किया गया है ताकि वित्तीय क्षेत्र द्वारा ग्रामीण इलाके में बडे पैमाने पर ऋण प्रदान किए जा सकें।

7.21 जब कि कम आय के परिवारों द्वारा अनुभव की जानेवाली संसाधनों की कमी वित्तीय उत्पाद तक उनकी पहुंच तथा उपयोग में बाधा उत्पन्न करती है, उचित नीतियां, क्रियाविधियां और उत्पादन विकसित करने की चुनौती बरकरार रहती है जो संसाधन बाध्यताओं की सीमा के भीतर इस समस्या ओ दूर कर सकती है। इस संबंध में एक क्षेत्र जिसमें व्यापक छूट देना अपेक्षित है, वह है पहचान संबंधी दस्तावेज जो बैंक में खाता खोलते समय स्वीकार्य हों। इस बात को ध्यान में रखते हुए रिज़र्व बैंक ने अक्तूबर 2006 में जारी अपनी मध्यावधि समीक्षा में छोटे खातों के लिए केवाइपी मानदंडों में छूट दी है। यह प्रस्तावित किया गया है कि छोटे खाते खोलते समय बैंक खाता धारक की केवल एक फोटो और पते का स्व-प्रमाणित प्रमाणपत्र प्राप्त करें। तथापि, लेनदेनों और बकाया शेष के लिए कुछ विवेकशील सीमाए तय की गई हैं जिनके परे बैंकों के लिए केवाइपी मानदंडों का पालन करना जरूरी है। सामान्य खातों के लिए केवाइपी मानदंडों के बारे में रिज़र्व बैंक कतिपय स्पष्टीकरण जारी करेगा ताकि वह ज्यादा से ज्यादा ग्राहक सुलभ हो सके।

7.22 हाल ही के वर्षो में, लघु वित्त के कार्यकलापों में काफी वृद्धि और विकास हुआ है। भारत में, गैर सरकारी संगठनों द्वारा गठित एवं बैंकों द्वारा वित्तपोषित स्वयं सहायता समूह इस विकास प्रक्रिया के महत्वपूर्ण घटक होते हैं। तथापि, लघु वित्त कार्यक्रमों ने विविध सहबद्ध गैर वित्तीय कार्यकलापों को अपनी सीमाओं में शामिल कर लिया है। अतः अब समय आ गया है कि पुराने और परिपक्व स्वयं सहायता समूह आय उत्पन्न करने वाले कार्यकलापों को अपनाकर लघु उद्यमों में परिवर्तित हो जाएं। यह भी आवश्यक है कि जिन राज्यों में यह प्रारंभिक स्तर पर है वहां इस कार्यक्रम का विस्तार किया जाए। लघु वित्तपोषण संस्थाओं के सुदृढ़ विकास के लिए वित्तपोषण की मदद और क्षमता बढ़ाने के उपायों के साथ साथ एक उचित विनियामक ढ़ांचा तैयार करना भी महत्वपूर्ण है।

7.23 विकासित देशों का अनुभव यह कहता है कि बढ़ती समृद्धि तथा घटती आय असमानता के साथ वित्तीय समावेशन का स्तर बढ़ता है। तथापि, सभी को बैंकिंग सेवा उपलब्ध कराने के रास्ते में कई बाधाएं आ सकती है। इसलिए, नीति तैयार करने वालों के सामने यह बड़ी चुनौती है कि इन बाधाओं को कम करने के लिए कौनसे रास्ते अपनाए जाएं। पहला, स्वयंपूर्ण जानकारी तथा सलाहकार सेवाओं की आवश्यकता है। वित्तीय उत्पादों की जानकारी न होना कुछ परिवारों को वित्तीय सेवाएं प्राप्त करने से वंचित रखता है।

दूसरा, उचित सरकारी-निजी सहभागिता विकसित करना एक चुनौती रहा है। तीसरा, बैंकिंग सुविधाओं से वंचित लोगों के लिए हल निकालते समय उसमें न केवल लागत कम करने के लिए बल्कि विस्तृत भौगोलिक पहुंच के लिए तकनीकी विकास का गहन उपयोग करना आवश्यक हैं। अंत में, यह देखने की आवश्यकता है कि क्या वित्तीय वंचन को सीमांतीकरण से बदला जा सकता है। दूसरे शब्दों में व्यक्ति को या तो उनकी अपेक्षाओं को पूरा न करने वाले उत्पाद दिए जाते हैं तथा ऐसी वितरण पध्दति का उपयोग किया जाता है जो उनको वित्तीय सेवाओं की मुख्य धारा में समेकित करने के लिए सुसज्ज नहीं होते हैं।

बैंकिंग का विस्तार

7.24 जैसे जैसे अर्थव्यवस्था में तीव्र वृद्धि होती है तथा बड़ी मात्रा में जनसंख्या गरीबी रेखा से बाहर निकलती है वैसे-वैसे बचत की वित्तीय मध्यस्थता के और बढ़ने की अपेक्षा होती है। अन्य शब्दों में, बैंकिंग प्रणाली को वर्तमान से अधिक निधि उपलब्ध करानी होगी। भारत में, सकल घरेलू उत्पाद बैंक परिसंपत्ती या बैंक जमाराशियों का अनुपात हाल हीं के वर्षों में कुछ बढ़ने के बावजूद विश्व में सबसे कम है। जैसे-जैसे बैंकिंग का विस्तार होता है, सकल घरेलू उत्पाद में जमाराशियों के से अनुपात में प्रारंभ में वृद्धि होती है और उसके बाद गिरावट आने लगती है क्योंकि उच्च रेटित कंपनियां पूंजी बाज़ार से पूंजी जुटाने में सफल हो जाती हैं। विवेकपूर्ण आवश्यकताओं से जुडी इक्विटी जारी करके पूंजी जुटाना और अपर्याप्त रूप में विकसित ऋण बाज़ार के चलते ग्रामीण क्षेत्र और छोटे तथा मझोले उद्यमों ने बहुत अधिक रूप में बैंक वित्त पर निर्भर रहना जारी रखा। इसके फलस्वरूप ग्रामीण इलाके में विविध वित्त के लिए ऋण विस्तार तथा बहुमुखी गतिविधियों के लिए बहुत गुंजाइश है।

7.25 उच्च ऋण विस्तार की वर्तमान स्थिति में बैंक एसएलआर प्रतिभूतियों में न्यूनतम निर्धारित सीमा से अधिक अपने अधिशेष निवेशों को निकालते रहे हैं। यह निकास शीघ्र ही एक सीमा तक पहुंच जाएगा। इसलिए, बैंकों के लिए यह आवश्यक है कि वे बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार कर और अपनी जमाराशियों के आधार को फैलाकर स्थिर खुदरा जमाराशियों का संग्रहण करने का निरंतर प्रयास करें। बैंकों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों को भी पर्याप्त रूप से सेवा नहीं दी जा रही है। बैंकों को यदि अपनी जमाराशि संग्रहण तथा ऋण सृजन का संतुलन बनाए रखना है तो उन्हें ग्रामीण इलाके में संसाधन जुटाने के लिए अपने विवेकपूर्ण उपायों को लागू करना होगा।

7.26 ग्रामीण इलाके की नई और उनमें भी शहरी इलाके में स्थित एसएमई की मांगों को पूरा करने के लिए बैंकों के लिए यह आवश्यक है कि वे लेनदेन लागत को कम करने के लिए आधुनिक वितरण प्रणाली अपनाएं और वर्तमान में सेवा से वंचितों लोगों को सेवाएं उपलब्ध कराएं। इन नईं ग्रामीण ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऋण वितरण, संपूर्ण वित्तीय श्रृखलाबध्द वित्तपोषण को शामिल करने, भंडारण की सुरक्षा, गोदाम, प्रसंस्करण तथा खेतों से बाज़ार तक यातायात की व्यवस्था के नवोन्मेषी उपाय खोजने होंगे। बैंकों के लिए यह आवश्यक है कि वे कुशल कर्मचारियों की नई भर्ती और वर्तमान स्टाफ के गहन प्रशिक्षण में निवेश करें।

बासल II का कार्यान्वयन

7.27 अंतरराष्ट्रीय बेहतर व्यवहारों के साथ बैंकिंग क्षेत्र के लिए विवेकपूर्ण मानदंडो के क्रमिक सम्मेलन करने की दृष्टि से भारत के वाणिज्य बैंकों को 31 मार्च 2007 से बासल II का कार्यान्वयन करने के लिए सूचित किया गया है। तथापि, बैंकिंग प्रणाली की तैयारी को रखते हुए यह निश्चय किया गया कि उचित प्रणाली स्थापित करने के लिए बैंकों को कुछ और समय दिया जाए ताकि बासेल II का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके । नई समय सीमा के अनुसार, भारत में कार्यरत विदेशी बैंकों तथा भारतीय बैंक जो भारत से बाहर स्थित हैं, के लिए यह आवश्यक है कि वे 31 मार्च 2008 से बासेल II के अंतर्गत ऋण जोखिम के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण तथा परिचालनगत जोखिम के लिए मूल संकेतक दृष्टिकोण अपनाएं। सभी अन्य अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को उस बात के लिए प्रोत्साहित किया गया है कि वे अपने अनुरूप बासेल II के अंतर्गत इन दृष्टिकोणों को अपना लें, लेकिन किसी भी हालत में, 31 मार्च 2009 के बाद नहीं। रिज़र्व बैंक, बैंकों द्वारा बासेल II के अपनाए जाने के लिए प्रतिबद्ध है और बासेल II के सुचारू कार्यान्वयन के लिए मार्गदर्शन करेगा।

7.28 बासल I की तुलना में बासल II बहुत ही जटिल है। बासल II की जटिलता विविध उपलब्ध विकल्पों से निर्माण होती है जिससे उसको समझने और क्रियान्वित करने के लिए दोनों विनियामक और विनियमित समुदाय के लिए एक चुनौती बन गई है। तथापि बासल II जो जोखिम के प्रति बहुत ही संवेदनशील है, बैंकों को पूंजी का उपयोग अधिक कार्यकुशलता से करने के लिए अनुमति देता है। साथ ही वह सुदृढ़ शासन प्रणाली और अधिक पारदर्शिता के लिए सीधे प्रेरित करता है।

7.29 बासल II को आसानी से लागू करने हेतु अंतरण तथा कार्यान्वयन दोनों के लिए परामर्शी और सहभागी दृष्टिकोण अपनाया

गया है। बासल I के अंतर्गत परिचालनगत जोखिम को रोका नहीं गया तथा बाज़ार जोखिम के लिए अभी तक पूंजी प्रभार निर्धारित नहीं किया गया है। इस तथ्य को देखते हुए भारत में बैंकों को बासल II के कार्यान्वयन के लिए अधिक पूंजी जुटाने की आवश्यकता है। प्रारंभिक विश्लेषण यह इंगित करता है कि चुनिंदा बैंकों का संयुक्त पूंजी पर्याप्तता अनुपात 100 आधारभूत अंको से नीचे तभी आएगा जब ये बैक बासल II मानदंडो को अपनाएंगे। इस अनुमान का आधार वे ग्यारह बैंक है जिनका बाज़ार के अंश में 50 प्रतिशत का योगदान है (परिसंपत्ती के अनुसार) जिन्होंने बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासल समिति द्वारा आयोजित मात्रात्मक के प्रभाव अध्ययन (क्यूआईएस 5) में हिस्सा लिया था। अनुमानों से यह स्पष्ट होता है कि नए ढ़ांचे के अंतर्गत ग्यारह बैंकों में से कोई भी बैंक पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीआरएआर) का उल्लंघन नहीं करेगा फिर भी, शुध्द प्रभाव बड़ी मात्रा में परिलक्षित होता है। संपूर्ण बैंकिंग व्यवस्था की स्थिति 12 प्रतिशत जोखिम भारित आस्तियों के प्रति पूंजी अनुपात से सुव्यवस्थित है, विशेषकर तब, जब 84 बैंकों में से 78 बैंकों का न्यूनतम पूंजी पर्याप्तता अनुपात 10 प्रतिशत से अधिक है। जबकि, बैंक बासल II के अंतर्गत पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न उपाय अपना रहे हैं, रिज़र्व बैंक भी अपनी ओर से बैंकों को उनके पूंजी जुटाने के विकल्पों में वृद्धि करने के लिए उनके लिखतों अर्थात नवोन्मेषी स्थायी ऋण लिखतों, स्थायी असंचयी अधिमान शेयर, प्रतिदेय संचयी अधिमान शेयर और संकर(हायब्रिड) ऋण लिखत को जारी करने के लिए नीतिगत दिशानिदेश जारी किए हैं। पात्र बैंकों को आईआरबी/जोखिम मापन का प्रगत दृष्टिकोण अपनाने तथा पहचानने के विनियामक की हैसियत को सुनिश्चित करने हेतु रिज़र्व बैंक भी क्षमता निर्माण में शामिल हुआ है।

7.30 बैंकिंग प्रणाली के परिचालन का आकार तथा जटिलता को देखते हुए, [वाणिज्यिक (सरकारी, निजी, विदेशी) और सहकारी बैंक, एकल तथा कई राज्यों के सहकारी बैंक, नियंत्रण का दोहरापन, और जमाराशियां संग्रहित करने वाली गैर-बैंकिंग कंपनियां] आर्थिक तंगी के विभिन्न स्तरों पर इन ईकाईयों पर लागू पूंजी पर्याप्तता मानदंडों को बनाए रखा गया हैं। पूंजी पर्याप्तता के संबध में तीन पथ वाला दृष्टिकोण अपना गया है। पहले पथ में बासल II के अनुसार, वाणिज्यिक बैंकों को आवश्यक है कि वे ऋण तथा बाज़ार जोखिम दोनों के लिए पूंजी बनाए रखें। दूसरे पथ पर, सहकारी बैंकों के लिए यह आवश्यक है कि वे बासल I के अनुसार ऋण जोखिम के लिए और प्रतिनिधि के माध्यम से बाज़ार जोखिम के लिए पूंजी बनाएं रखे। तीसरे पथ पर, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए न्यूनतम पूंजी की आवश्यकता है। इस प्रकार प्रणालीगत महत्व का बड़ा हिस्सा बासल II के ढ़ाचे पर है, इसका एक छोटा हिस्सा बासल I के ढ़ाचे पर और बहुत ही छोटा हिस्सा गैर-बासल ढ़ाचे पर है। कुछ इस प्रकार के एक विकल्प का इस्तेमाल अमरीका में भी किया गया है जहां पर बासल II और बासल I-ए इकाइयां के परिचालनों को कमोबेश एक साथ देखा जा सकता है। इसी प्रकार से, अमरीका में बासल II इकाइओं में यह संभावना है कि तीन मुख्य जोखिमों हेतु पूंजीगत आवश्यकताओं के परिकलन के लिए बैंक बहुविध विकल्पों के विभिन्न संयोजनेां का क्रियान्वयन करें। परिणामस्वरूप, बासल II का क्रियान्वयन ढांचे के स्पेक्ट्रम के रूप में किया जाएगा जिससे विभिन्न संवर्गो के बीच गुणवत्ता की क्रमिक वृद्धि हो सकेगी।

7.31 बासल II के परिप्रेक्ष्य में जोखिम प्रबंधन ने महत्वपूर्ण अध्याय जोड़ा है। वित्तीय इकाइयां जोखिम प्रबंधन व्यवहार के मामले में बहुत ही सजग होती जा रही है। उन्होंने अपने उत्पाद प्रोफ़ाइल, कारोबार दर्शन और ग्राहक उन्मुखता के आधार पर जोखिम प्रबंधन मॉडेल तैयार किए हैं। यह हो सकता है कि बासल II के कार्यान्वयन पर, कुछ बैंक ऋण जोखिम के लिए आईआरबी दृष्टिकोण अपना सकते हैं। और, उसी कार्यक्षेत्र के कुछ बैंक मानकीकृत दृष्टिकोण अपना सकते हैं। चूंकि मानकीकृत दृष्टिकोण की तुलना में आइआरबी दृष्टिकोण ज्यादा जोखिम संवेदनशील है, आईआरबी दृष्टिकोण अपनाने से जोखिम की मात्रा में थोड़े से परिवर्तन का परिणाम अतिरिक्त पूंजी की आवाश्यकता हो सकता है जिससे बैंक ऐसे जोखिमपूर्ण निवेशों से दूर रहना चाहेंगे।

अनर्जक परिसंपत्तियों का प्रबंधन

7.32 हाल की वर्षों में अनर्जक आस्तियों को कम करना भारतीय बैंकिंग क्षेत्र की एक बड़ी उपलब्धता रही है। कुल एनपीए में 3 प्रतिशत की तीव्र गिरावट आई (मार्च 1977 के समाप्ति पर 15.7 प्रतिशत)। अभी बैंकिंग क्षेत्र का निवल एनपीए एक प्रतिशत तक है और पिछले कुछ वर्षों में कुल और निवल एनपीए का अंतर बहुत ही कम हुआ है। देयों की वसूली भी नई चूकों से अधिक है। भारतीय बैंकिंग व्यवस्था के एनपीए की तुलना अब कई विकसित अर्थव्यवस्थाओं के साथ की जा सकती है। यह एशियाई क्षेत्र की कई अर्थव्यवस्थाओं से कम है। पिछले कुछ वर्षों से एनपीए में गिरावट महत्वपूर्ण है क्योंकि वर्षों के दौरान आय पहचान, आस्ति वर्गीकरण और मानदंडों के प्रावधानों को सख्त किया गया है। उदाहरण के तौर पर, बैंकों को पहले के 180 दिन के बजाय 90 दिन के दंडात्मक मानदंड को अपनाना होगा । अब यदि 180 दिन के बजाय 120 दिन से अधिक दिनों में भुगतान नहीं किया जाता है

तो वह आस्ति 'संदिग्ध' मानी जाती है। बैंकों को अभी बैंक द्वारा कृषि और एसएमई क्षेत्र को दिए गए प्रत्यक्ष अग्रिमों के अलावा मानकीकृत अग्रिमों के लिए सामान्य प्रावधानीकरण (0.40 प्रतिशत) भी करना पडता है। कुछ संवेदनशील क्षेत्रों के लिए सामान्य प्रावधानीकरण 1.00 प्रतिशत है। तीव्र समष्टि आर्थिक वातावरण के सहायता से सुधरी हुई लाभप्रदता और ब्याज दर चक्र में वृद्धि ने बैंकों को अपने लंबित एनपीए को कम करने में मदद की। ऋण निर्धारण प्रक्रिया में सुधार और सरकार/रिज़र्व बैंक द्वारा एनपीए के लिए एक संस्थागत प्रक्रिया तैयार करने के संकल्प (वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतीकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन (एसएआरएफएईएसआइ) अधिनियम, 2002, लोक अदालत, ऋण वसूली ट्रिब्यूनल और कंपनी ऋण पुनर्निर्माण व्यवस्था का गठन सहित) ने भी उल्लेखनीय भूमिका निभाई है।

7.33 बैंकिंग व्यवस्था की आस्ति की गुणवत्ता में पिछले कुछ वर्षों से काफी सुधार आया है। तथापि, बैंकों को ऋण की गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की कमी आने से उसकी रक्षा करनी होगी, विशेषरूप में ऋण के बहुत अधिक विस्तार के समय। बैंकों के पास ऐसी विस्तृत प्रणाली होना आवश्यक है, जिसमें जोखिम निगरानी उचित जोखिम आकलन से जुड़ी हो। यह जोखिम आकलन तथा देय ऋण पर उचित आधारभूत आंकड़ों को, जिन्हें आवधिक आधार पर अद्यतन करना होगा, तैयार करने तथा बनाए रखने में मददगार होगा। इस संबंध में, ऋण जानकारी कंपनी (विनियमन) अधिनियम का गठन महत्वपूर्ण गतिविधि है। इस प्रकार गठित की जानेवाली कंपनियों के लिए रिज़र्व बैंक दिशानिदेश जारी करता है, अतः बैंकों को ऋण सूचना मिलना धीरे-धीरे बढ़ते जाने की अपेक्षा है। इससे जोखिम-मूल्यांकन और निगरानी में भारी मदद मिलेगी जिससे लेनदेन लागत कम हो जाएगी।

कंपनी संचालन

7.34 सुदृढ़ कंपनी संचालन के सिद्धांतों पर एक मज़बूत वित्तीय व्यवस्था आधारित होती है। कंपनी संचालन मूलभूत नियम निर्धारित करता है जिसके द्वारा उनके प्रंबंध की कंपनियों को संचालित किया जाता है। प्रत्येक संस्था को उनके अपने बदलते कारोबार के सिद्धांतों पर आधारित समय-समय पर अपने संचालन की रूपरेखा तैयार करनी चाहिए। बदलती स्थिति के अनुसार इन सिद्धांतों को अपनाना चाहिए। बैंकिंग व्यवस्था में बढ़ती स्पर्धा तथा समेकन को देखते हुए विशेषरूप से बैंकिंग प्रणाली में कंपनी संचालन की गुणवत्ता महत्वपूर्ण हुई है।

7.35 भारत का बैंकिंग क्षेत्र बहुत बड़ा और देश के कोने-कोने में फैला हुआ है। उसमें बहुत से बैंक विविध आकारों के हैं और उनकी धारिता के प्रकार भी बहुत अधिक भिन्न हैं। वित्तीय स्थिरता की दृष्टि से आकार और संचालन अत्यंत महत्वपूर्ण है। बैंकों के कंपनी संचालन के परिप्रेक्ष्य में दो बड़े चिंता के विषय उभर कर आते हैं, वे हैं स्वामित्व का केंद्रीकरण और बैंक को संचालित करने वाले प्रबंधतंत्र की गुणवत्ता। अभी-अभी अमरीका की लेखा फर्मों में पाई गई अनियमितता से अच्छे कंपनी संचालन व्यवहार का महत्व उद्घाटित हुआ है। बैंकों में कंपनी संचालन की गुणवत्ता को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है क्योंकि स्पर्धा तीव्र हुई है और बैंकों को अपने ग्राहकों को बनाए रखने के लिए भारी प्रयास करने पड़ते हैं।

7.36 बैंकों में पिछले कुछ वर्षों से कंपनी संचालन में बहुत अधिक सुधार हुआ है। अच्छे कंपनी संचालन को बढ़ावा देने के अपने प्रयासों के एक भाग के रूप में रिज़र्व बैंक ने 'उचित एवं उपयुक्त' मालिकों तथा निदेशक सुनिश्चित करने और स्वामित्व में विविधता लाने पर ध्यान केंद्रित किया है। बैंकों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि नामित करने वाली समिति नामित और चुने गए निदेशकों को 'उचित एवं उपयुक्त' मानदंडों की संतुष्टि की कसौटी पर परखें। सुधारित कंपनी संचालन व्यवहार बैंक बोर्ड को अधिक स्वतंत्रता देने और व्यापक जोखिम प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करने का अवसर प्रदान करता है।

प्रतिस्पर्धा और समेकन

7.37 बैंकिंग क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा तीव्र हुई है। निजी तथा विदेशी बैंकों का कुल परिसंपत्ति में हिस्सा मार्च 2005 की समाप्ति के 24.7 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2006 की समाप्ति पर 27.6 प्रतिशत हुआ जो सुधार के आरंभ में 10.00 प्रतिशत से कम था। विशेष रूप से नई निजी बैंकों की वृद्धि बहुत अधिक है। बढ़ी हुई स्पर्धा से क्षमता तथा ग्राहक सुधार में बहुत सुधार हुआ है।

7.38 संपूर्ण विश्व में बैंकों के बीच समेकन की प्रवृत्ति है। बैंकों के कारोबार में विस्तार हो रहा है और बैंकों की संख्या घट रही है। बढ़ती स्पर्धा तथा लागत में कमी लाने के कारणों से समेकन की प्रक्रिया प्रेरित होती है। जब स्पर्धा बढ़ती है तो बैंकों का ध्यान प्रौद्योगिकी के बढ़ते उपयोग और नए उत्पादों तथा सेवाओं के माध्यम से लागत कम करने की ओर रहता है। इसके लिए निवेश में वृद्धि तथा प्रौद्योगिकी और कुशल मानव संसाधन के प्रभावी उपयोग की आवश्यकता होती है। छोटे बैंक इसके लिए कठिनाई महसूस करते हैं, अतः विशेष ढंग से विकास करने का दबाव बढ़ रहा है।

7.39 भारत में बैंकिंग के संबंध में समेकन महत्वपूर्ण चिंता का विषय है। यह विशेष बात है कि खुलेपन की प्रक्रिया के परिप्रेक्ष्य

में भारतीय बैंकिंग प्रणाली के ढांचे में ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ है। हाल के वर्षों में बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत की समेकन प्रक्रिया प्रमुख रूप से दो विकास वित्तीय संस्थाओं के बैंकों के साथ समामेलन तक ही सीमित थी। निजी क्षेत्र के कुछ समेकन बैंकों के वित्तीय स्थिति से प्रेरित हुए। समेकन की प्रक्रिया अब तीव्र होती जा रही है। अक्तूबर 2005 से तीन बैंकों को समामेलित किया गया है। रिज़र्व बैंक ने विलय और अभिग्रहण पर दिशा निदेश जारी करके इसके लिए उचित वातावरण तैयार किया है।

7.40 तथापि, सरकार की पहल से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के बीच में समेकन बहुत अधिक हुआ है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड रहा है, जैसे, समय पर ऋण उपलब्धता का अभाव, उसकी उच्च लागत और छोटे कृषकों की उपेक्षा करना तथा अनौपचारिक साहूकारों की निरंतर उपस्थिति। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक पूंजीकृत भी नहीं हैं, उन चुकौती न होनेवाले ऋणों की संख्या भी बड़ी है। तथापि, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में अनेक सक्षम संस्थाएं हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर सुलझाया जा रहा है और मध्यावधि ढांचे में उनके पुनर्गठन की प्रक्रिया भी चालू हो गई है।

7.41 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को भारतीय वित्तीय व्यवस्था में ऋण वितरण के प्रभावी उपकरण के रूप में स्थापित करने की दृष्टि से भारत सरकार ने राज्य स्तरीय प्रायोजित बैंकों के साथ परामर्श करके सितंबर 2005 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का समामेलन शुरू किया। 31 अगस्त 2006 तक 137 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के समामेलन से 18 बैंकों द्वारा 15 राज्यों में प्रायोजित 43 नए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तैयार हुए और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या 196 से घटकर 102 हो गई। समामेलन की प्रक्रिया अब भी जारी है। समामेलनों के पश्चात क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बड़े परिचालन क्षेत्र के साथ आकार में बड़े होंगे जिससे वे बड़े पैमाने की किफ़ायत और लेनदेन लागत में कमी का लाभ उठाकर स्पर्धा के वातावरण में प्रभावी रूप से काम कर सकेंगे।

संस्थाओं का बदलता केंद्रबिंदु

7.42 लाइसेंसीकरण मानदंडों के उदारीकरण के अनुपालन के कारण अनेक शहरी सहकारी बैंक कमज़ोर हो गए और उन्हें निदेश/परिसमापन के अंतर्गत रखा गया। इस क्षेत्र में अनेक किस्म की कमियां दिखाई दी हैं जिसमें नाजुक वित्तीय स्थिति, निम्न पूंजीकरण, संचालन और प्रबंध में असफलता और व्यावसायिक दृष्टि से कुशल स्टाफ की कमी शामिल है। दोहरे नियंत्रण के कारण विनियामक तथा पर्यवेक्षी दृष्टि से प्रवर्तन की कमजोरी इस क्षेत्र के पुनरुत्थान में एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में उभरकर सामने आई है। इसलिए, हाल के वर्षों में नीति तैयार करने के लिए राज्य सरकारों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करके परामर्शी दृष्टिकोण अपनाना इन संस्थाओं के पुनरुत्थान की प्रक्रिया के लिए दिशादर्शक बन गया है।

7.43 इस क्षेत्र का पुनरुत्थान तथा सुदृढ़ विकासोन्मुख नीतिगत ढांचा तैयार करने के लिए शहरी सहकारी बैंकों हेतु कई ढांचागत, कानूनी तथा विनियामक उपाय आरंभ किए गए हैं। 'शहरी सहकारी बैंक के लिए विजन डाक्यूमेंट' और 'शहरी सहकारी बैंक के लिए मध्यावधि ढांचों ने इस विषय में दृष्टिकोण तथा कार्यान्वयन के लिए कार्रवाई योजना दी है। फलस्वरूप, राज्य सरकारों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए जा रहे हैं। इन सभी राज्यों में यह पहचानने के लिए कि सक्षम / कमज़ोर शहरी सहकारी बैंक कौन से हैं और अक्षम शहरी सहकारी बैंक को अविघटनकारी मार्ग से पुनरुज्जीवित करने हेतु एक कार्यदल (टीएएफसीयूबी) भी गठित किया जा रहा है। छोटे शहरी सहकारी बैंकों की क्षमता बढ़ाकर उन्हें उच्च विवेकपूर्ण मानकों के स्तर पर लाने के लिए विनियामक नीतियों को सुसंगत बनाया जा रहा है। शहरी सहकारी बैंक के लिए आरंभ किए गए प्रयासों के समानांतर ग्रामीण बैंकिंग सहकारी क्षेत्रों में पुनरुत्थान के बड़े प्रयास भी शुरू किए गए।

7.44 इस संबंध में, ग्रामीण सहकारिता का कायापालट करने के लिए व्यावहारिक और कार्यान्वयन पर उचित कार्रवाई योजना तैयार करने हेतु भारत सरकार द्वारा ग्रामीण सहकारी ऋण संस्थाओं के पुनरुत्थान पर एक कार्यदल (अध्यक्षः प्रो. ए. वैद्यनाथन) का गठन किया जाना एक बहुत अच्छा उपाय है। फलस्वरूप, अल्पावधि सहकारी ऋण ढांचे के लिए पुनरुत्थान पैकेज तैयार किया गया और उसे राष्ट्रीय कार्यान्वयन निगरानी समिति के माध्यम से राज्य सरकार के साथ परामर्श करके कार्यान्वित किया गया। पुनरुत्थान योजना के अनुसरण में नाबार्ड ने भी क्षमता निर्माण की कई पहलें कीं। उसी कार्यदल ने दीर्घावधि सहकारी ऋण संस्थाओं के पुनरुत्थान के लिए भी रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिसे पब्लिक डोमेन पर रखा गया है।

बैंकिंग और प्रौद्योगिकी

7.45 सूचना प्रौद्योगिकी (आइटी) ने वित्तीय क्षेत्र में मजबूती से प्रवेश किया है। वास्तविकता में आइटी ने वित्तीय स्थिरता के कई पहलुओं में बहुत अधिक बदलाव लाया है। बैंकिंग क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी के बढ़ते उपयोग से बैंक, ग्राहक और विनियामकों को समान रूप में लाभ मिला है। बैंकों में लेनदेन प्रक्रिया का

कंप्यूटरीकरण करने से लेखा परीक्षा का विश्लेषण सरल हुआ है। बैंकिंग क्षेत्र में आईटी का अधिक लाभकारी उपयोग भुगतान तथा निपटान प्रणाली में हुआ है। परंपरागत कागजों पर आधारित निधियों का अंतरण समाप्त हो जाने से तुरंत और कार्यसाधक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से निधि अंतरण आसान हो गया है। अधिक महत्वपूर्ण यह है कि इन प्रणालियों ने अंतिम निपटान को निर्धारित समय में पूरा करना सुनिश्चित किया है जो मैन्युअल प्रणाली की तुलना में बहुत ही कम समय लेता है। निधियों के तुरंत निपटान का सीधा प्रभाव मुद्रा की उपलब्धता पर होता है जिसका चलनिधि प्रबंधन तथा वित्तीय स्थिरता पर अच्छा प्रभाव पड़ता है।

7.46 सूचना प्रौद्योगिकी ने अच्छा आस्ति-देयता प्रबंध तंत्र दिया है अन्यथा मैन्युअल आधारित कार्यव्यवस्था में, जब कि भौगोलिक दृष्टि से बैंकों की असंख्य शाखाएं देशभर में फैली हैं, में करना कठिन था। यह बैंकों को निधियों का अच्छा प्रबंधन करने में सहायक साबित हुआ है जिसका बैंकों की लाभप्रदता में सुधार लाने के लिए सकारात्मक योगदान रहा है। सूचना प्रौद्योगिकी ने जानकारी उपलब्धता के साथ-साथ उसकी समयबद्धता में सुधार किया है। कोर बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, 'किसी भी समय में किसी भी जगह पर बैंकिंग' यह सभी संकल्पनाएं सूचना प्रौद्योगिकी के कारण आसान हुई हैं। इन सभी कारणों से बैंकिंग लेन-देन इस प्रकार उपयोगी हो गया है जो केवल ग्राहकों और बैंकरों के लिए ही नहीं बल्कि देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी लाभदायक है।

7.47 रिज़र्व बैंक ने वित्तीय क्षेत्र प्रौद्योगिकी विज़न डॉक्यूमेंट द्वारा वित्तीय क्षेत्र के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के संबंध में दो दशकों से अधिक की मार्ग दिशा दिखाई है और वर्ष 2005-2008 के लिए रोडमैप तैयार किया है। विज़न डॉक्यूमेंट में चार महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर लक्ष्य केंद्रित किया गया है, जैसे, विनियमन और पर्यवेक्षण के लिए सूचना प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी और बैंकिंग प्रौद्योगिकी में विकास और अनुसंधान संस्थान (आइडीआरबीटी), वित्तीय क्षेत्र के लिए सूचना प्रौद्योगिकी और सरकार से संबंधित कार्यों के लिए। विज़न डॉक्यूमेंट में : (i) विभिन्न वित्तीय इकाइयों में विविध संस्करण प्रणालियों के मानकीकरण के कार्यान्वयन के रूप में उभरती चुनौतियां ; (ii) निर्णयों की पुष्टि करने वाली प्रणालियों और (iii) तकनीक जो जोखिम आधारित परोक्ष पर्यवेक्षण को आसान कर सके, का उल्लेख है। विज़न डॉक्यूमेंट ने यह अनुमान लगाया है कि आइडीआरबीटी प्राथमिक रूप से अनुसंधान संस्था है जो बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र के लिए शैक्षिक/प्रशिक्षण सुविधा प्रदान करती है एवं अनुसंधान और विकास पर लक्ष्य केंद्रित करती है। विज़न डॉक्यूमेंट यह प्रस्तावित करता है कि सभी प्रकार के बैंकों में तथा ग्राहकों के सभी वर्गों में, विशेषरूप में ग्रामीण क्षेत्रों मे प्रौद्योगिकी का विस्तार करने के लिए विशेष ध्यान दिया जाएगा। यह इस बात पर भी ज़ोर देता है कि संसाधनों को आपस में बांटने, ग्राहकों द्वारा उपयोग किया जाने वाले प्रौद्योगिकी उत्पाद का समर्थन उचित है। डॉक्यूमेंट में सरकारी क्षेत्र के लेन देन (जिसके आने वाले वर्षों में बहुत अधिक बढ़ने की संभाव्यता है) में कारोबार प्रक्रिया के पुनर्विनियोजन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता से और उन्हें इस प्रकार से ई-गवर्नेंस के समकक्ष लाने के उद्देश्य कार्यान्वित करने के लिए नियमों और प्रक्रियाओं के बदलाव में आइटी का उपयोग करने का ब्यौरा दिया गया है।

7.48 भारत में तत्काल सकल भुगतान प्रणाली (आरटीजीएस) का प्रसार अन्य देशों की तुलना में तेज़ी से हुआ। अमरीका और ब्रिटेन में भुगतान प्रक्रिया पर चेकों का चलन प्रभावी है, वहीं यूरोप में वह मुख्यतः इलेक्ट्रानिक माध्यमों से होता है। भारत की वर्तमान आइटी क्षमता को देखते हुए इस क्षमता को बैंकिंग प्रणाली में लेन-देन लागत कम करने और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में उपयोग में लाया जा सकता है।

प्राथमिक व्यापारियों का विकास

7.49 राजकोषीय जवाबदेही एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 के अनुसार रिज़र्व बैंक पर केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों के निर्गम की प्रक्रिया में भाग लेने पर अप्रैल 2006 से रोक लगाई गई है। इस परिप्रेक्ष्य में, यह सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी संस्थागत व्यवस्था आवश्यक है कि ऋण प्रबंध उद्देश्य पूरा होता है और सरकार किसी भी स्थिति में बाज़ार के उतार-चढ़ाव को बढाए बिना उधार ले सकती है। चूंकि, रिज़र्व बैंक अब अंतिम आश्रय के सहारे के रूप में हामीदार का काम नहीं कर सकता अतः प्राथमिक निर्गमों में पूरे अभिदान को सुनिश्चित करने की संपूर्ण जिम्मेदारी प्राथमिक व्यापारियों (पीडी) की हो गई है। इसलिए, रिज़र्व बैंक प्राथमिक व्यापारियों को परिचालन में अधिक लचीलता देकर ब्याज दर चक्र का मुकाबला करने में उन्हें सक्षम बनाने का काम कर रहा है। इस दिशा के बहुवधि दृष्टिकोण में सरकारी प्रतिभूतियों की मंदडिया बिक्री की अनुमति, 'ब्लेन इशूड' ट्रेडिंग का आरंभ, प्राधिकृत व्यापारियों को उनके कार्यकलापों में विविधता लाने की अनुमति देना और प्राधिकृत व्यापारियों की बाज़ार निर्माण की भूमिका बढ़ाना और सरकारी प्रतिभूति बाज़ार को और सक्षम बनाने

और साथ ही निवेशकों का आधार विस्तृत करने में उन्हें सक्षम बनाना, शामिल है।

गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां

7.50 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) वित्तीय सेवाएं प्रदान करने में, वित्तीय क्षेत्र में स्पर्धा और विविधता बढ़ाने मे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। हाल के वर्षों में, जमाराशियां लेनेवाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां और उनके द्वारा धारित जमाराशियां घट गई हैं। उभरती प्रवृति यह इंगित करती है कि उनके द्वारा जुटाए गए संसाधनों और जमाराशियों में अंतर है। तथापि, वर्तमान वातावरण में रिज़र्व बैंक की प्रमुख चिंता यह है कि जमाराशियां स्वीकृत करने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के मामले में जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा होनी चाहिए। इसे ध्यान में रखते हुए आरएनबीसी के संबंध में विवेकाधीन निवेश को समाप्त किया जा रहा है और 1 अप्रैल 2007 से आरएनबीसी की जमाकर्ताओं के प्रति सभी देयताएं निदेशित निवेश में ही रखना आवश्यक होगा। मध्यम से दीर्घावधि में रिज़र्व बैंक ने रिपोर्टिंग तंत्र को सुसंगत करने, निगरानी की गुणवत्ता में सुधार लाने और क्षेत्र की व्यवहार्यता को मज़बूत करने का लक्ष्य रखा है।